

## संस्कृति संचालनालय

1-शिवाजी नगर (रेडक्रास अस्पताल के पीछे), भोपाल-16

दूरभाष : 0755-2770598

// आवेदन आमंत्रित हैं //

**शासकीय संगीत एवं ललित कला महाविद्यालयों में  
अतिथि विद्वानों की व्यवस्था हेतु**

शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए विभिन्न शासकीय संगीत एवं ललित कला महाविद्यालयों में अध्यापन के लिए अतिथि विद्वानों की व्यवस्था हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

2/ अतिथि विद्वानों की व्यवस्था संबंधी प्रक्रिया मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों एवं नियमों के तहत की जावेगी।

3/ रिक्तियों के विषय/विधा, पद संख्या तथा स्थान आदि का विवरण एवं आवेदन पत्र का प्रारूप तथा उक्त नियम एवं मापदण्ड, संचालनालय की वेबसाइट [www.culturemp.in](http://www.culturemp.in) पर उपलब्ध हैं।

4/ उक्त कार्यालय में आवेदन पत्र (निर्धारित प्रारूप में समस्त जानकारी, शैक्षणिक योग्यताओं तथा अनुभव आदि के सत्यापित प्रमाण-पत्र सहित) प्राप्त होने की अंतिम तिथि 9 जून, 2023 सायं 5:30 बजे तक है।

संचालक, संस्कृति संचालनालय

7/8/23

# संस्कृति संचालनालय मध्यप्रदेश, भोपाल

—000—

शासकीय संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय मध्यप्रदेश

अतिथि विद्वानों (सहायक व्याख्याता/व्याख्याता) की व्यवस्था  
हेतु  
रिक्तियों का विवरण  
(शैक्षणिक सत्र :- 2023-24)

—000—

## 1. शासकीय संगीत महाविद्यालय :

| क्र. | महाविद्यालय का स्थान | विधाएँ |      |     |       |         |           | कुल पद |
|------|----------------------|--------|------|-----|-------|---------|-----------|--------|
|      |                      | गायन   | तबला | कथक | सितार | वाँयलिन | हारमोनियम |        |
| 1.   | 2.                   | 3.     | 4.   | 5.  | 6.    | 7.      | 8.        | 9.     |
| 1.   | ग्वालियर             | 03     | -    | 02  | -     | 01      | -         | 06     |
| 2.   | इंदौर                | 02     | -    | 02  | -     | -       | -         | 04     |
| 3.   | उज्जैन               | 01     | 01   | 02  | -     | -       | -         | 04     |
| 4.   | मंदसौर               | 01     | -    | 01  | -     | 01      | -         | 03     |
| 5.   | मैहर                 | 01     | -    | -   | 01    | 01      | -         | 03     |
| 6.   | नरसिंहगढ़            | 02     | 01   | 01  | -     | -       | -         | 04     |
| 7.   | खण्डवा               | 02     | 01   | 02  | -     | 01      | 01        | 07     |
| 8.   | धार                  | -      | 01   | -   | -     | -       | -         | 01     |
| योग  |                      | 12     | 04   | 10  | 01    | 04      | 01        | 32     |

## 2. शासकीय ललित कला महाविद्यालय :

| क्र. | महाविद्यालय का स्थान | विधाएँ   |           |               | कुल पद |
|------|----------------------|----------|-----------|---------------|--------|
|      |                      | चित्रकला | मूर्तिकला | व्यवहारिक कला |        |
| 1.   | 2.                   | 3.       | 4.        | 5.            | 6.     |
| 1.   | ग्वालियर             | 04       | 02        | 01            | 07     |
| 2.   | इंदौर                | 03       | -         | -             | 03     |
| 3.   | धार                  | 01       | -         | -             | 01     |
| 4.   | जबलपुर               | 01       | 01        | 01            | 03     |
| 5.   | खण्डवा               | -        | -         | 01            | 01     |
| योग  |                      | 09       | 09        | 03            | 15     |

नोट :-

- रिक्तियों की संख्या में आवश्यकतानुसार वृद्धि/कमी करने का अधिकार संचालक, संस्कृति संचालनालय मध्यप्रदेश, भोपाल का होगा।
- मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग के क्र. एफ-01-37/2013/ तीस, दिनांक 19.09.2017 के द्वारा जारी अतिथि विद्वानों की व्यवस्था हेतु जारी नियम की कड़िका क्रमांक-2.1.5 के अनुसरण में आवेदन प्रस्तुत किया जावे।

आवेदित विषय/विधा :- .....  
आवेदित स्थान(महाविद्यालय) :-.....  
**आवेदन पत्र/प्रस्ताव का प्रारूप**

प्रति,

संचालक,  
संस्कृति संचालनालय मध्यप्रदेश,  
1, शिवाजी नगर (रेडक्रास अस्पताल के पीछे),  
भोपाल(म.प्र.), पिन-462016

आवेदक का  
सत्यापित  
पासपोर्ट साईज  
का रंगीन फोटो

विषय :- शैक्षणिक सत्र : 2023-24 के लिए प्रदेश के शासकीय संगीत एवं ललित कला  
महाविद्यालयों में अतिथि विद्वान हेतु प्रस्ताव।

—000—

मैं, .....संस्कृति संचालनालय द्वारा  
जारी विज्ञप्ति दिनांक ..... के अनुसार अतिथि विद्वान व्यवस्था हेतु निम्नानुसार  
आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ :-

1. आवेदित महाविद्यालय का नाम/स्थान : .....
2. आवेदित विधा/विषय : .....

मेरी व्यक्तिगत जानकारी एवं शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव निम्नानुसार है :-

1. नाम : .....
2. पिता/पति का नाम : .....
3. वर्तमान पता : .....
4. स्थायी पता : .....
5. मूल निवासी : .....  
(प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
6. जन्म तिथि : ....., उम्र .....वर्ष
7. जाति/वर्ग : .....  
(प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
8. सम्पर्क : मोबा.न. ....  
: दूरभाष .....  
: ई-मेल .....

निरन्तर.....2....

**9. शैक्षणिक योग्यताएँ (सत्यापित प्रमाण-पत्र/अंक सूची संलग्न करें) :-**

| क्र. | शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, उपाधि | विषय/विधा | संस्था का नाम | उत्तीर्ण वर्ष | प्राप्तांकों का प्रतिशत |
|------|-----------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------------------|
| 1.   | 2.                          | 3.        | 4.            | 5.            | 6.                      |
| 1    |                             |           |               |               |                         |
| 2    |                             |           |               |               |                         |
| 3    |                             |           |               |               |                         |
| 4    |                             |           |               |               |                         |
| 5    |                             |           |               |               |                         |
| 6    |                             |           |               |               |                         |

**10. शिक्षण कार्यानुभव (सत्यापित प्रमाण-पत्र संलग्न करें) :-**

| क्र. | संस्था का नाम/स्थान | कार्यावधि | अनुभव का प्रकार | रिमार्क |
|------|---------------------|-----------|-----------------|---------|
| 1.   | 2.                  | 3.        | 4.              | 5.      |
| 1    |                     |           |                 |         |
| 2    |                     |           |                 |         |
| 3    |                     |           |                 |         |
| 4    |                     |           |                 |         |

मैं, प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उक्त आवेदन/प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पूर्व, अतिथि विद्वानों की व्यवस्था के संबंध में संचालनालय की वेबसाइट पर उपलब्ध मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग के क्रमांक एफ-01-37/2013/तीस, दिनांक 19.09.2017 द्वारा जारी नियम, निर्देश तथा मापदण्डों का भली-भांति अध्ययन कर लिया है।

उक्त प्रस्तुत जानकारी के संबंध में स्वसत्यापित प्रमाण-पत्र संलग्न कर रहा/रही हूँ। उक्त में कोई भी जानकारी अथवा प्रमाण-पत्र गलत पाये जाने पर मेरा आवेदन निरस्त करने का अधिकार संस्कृति संचालनालय म.प्र.भोपाल का होगा।

स्थान :-

दिनांक :-

(.....)  
आवेदक/आवेदिका का नाम एवं हस्ताक्षर

मध्यप्रदेश शासन,  
संस्कृति विभाग, मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ-01-37/2013/तीस

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर, 2017

प्रति,

आयुक्त,  
संस्कृति संचालनालय,  
भोपाल (म.प्र.)

विषय :- शैक्षणिक सत्र के लिए संगीत/ललित कला महाविद्यालय में अध्यापन हेतु अतिथि विद्वानों एवं शिक्षण सहायकों की व्यवस्था।

.... 0 ....

राज्य शासन द्वारा प्रदेश में शासकीय संगीत/ललित कला महाविद्यालयों में प्राध्यापक/व्याख्याता/सहायक व्याख्याता/संगतकार/निर्देशक/कनिष्ठ निर्देशक/वाद्ययंत्र (हारमोनियम आदि) सहायक/स्टूडियो सहायक/ग्रंथपाल पद के लिए अतिथि विद्वानों/शिक्षण सहायकों के आमंत्रण हेतु मानदेय, मापदण्ड एवं अध्यापन संबंधी व्यवस्था निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

1. सामान्य :

- 1.1 इन नियमों/मापदण्डों के संदर्भ में 'अतिथि विद्वान एवं शिक्षण सहायक' से तात्पर्य प्राध्यापक/व्याख्याता/सहायक व्याख्याता/निर्देशक/संगतकार/वाद्ययंत्र (हारमोनियम आदि) सहायक/कनिष्ठ निर्देशक/स्टूडियो सहायक/ग्रंथपाल आदि शैक्षणिक पदों से है।
- 1.2 महाविद्यालयों में अतिथि विद्वानों एवं शिक्षण सहायकों की व्यवस्था शिक्षण संबंधी पदों के लिए ही की जाएगी।
- 1.3 अतिथि विद्वानों एवं शिक्षण सहायकों की व्यवस्था यथासंभव शैक्षणिक सत्र में वास्तविक अध्यापन की आवश्यकता एवं अध्ययनरत छात्र संख्या के आधार पर की जाएगी।

AJ(S)/का-9  
19/11/17

2794  
दिनांक 20/09/2017  
संस्कृति संचालनालय (म.प्र.)

## 2. चयन :

- 2.1.1 महाविद्यालयवार शैक्षणिक संवर्ग के अतिथि विद्वान एवं शिक्षण सहायक को उस शैक्षणिक सत्र के लिए संचालनालय स्तर से आमंत्रित किया जाएगा।
- 2.1.2 अतिथि विद्वान एवं शिक्षण सहायक का आमंत्रण अधिकतम 11 माह के लिए किया जाएगा। अतिथि विद्वान एवं शिक्षण सहायक द्वारा एक शिक्षण सत्र में अधिकतम 11 महीने का कार्य किया जा सकेगा तथा उसी हिसाब से उन्हें मानदेय भी प्राप्त होगा।
- 2.1.3 अतिथि विद्वान एवं शिक्षण सहायक द्वारा किए गए कार्य को भविष्य में अनुभव का लाभ दिये जाने के लिए 11 माह को एक शिक्षण सत्र माना जाएगा।
- 2.1.4 आवेदकों को अपने समस्त मूल दस्तावेजों का सत्यापन कार्यभार ग्रहण करते समय कराना अनिवार्य होगा।
- 2.1.5 आवेदनकर्ता केवल किसी एक शैक्षणिक संस्था हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। यदि आवेदक एक से अधिक विषयों में आवेदन प्रस्तुत करने की योग्यता रखता है तो ही वह उन विषयों में अपना आवेदन पृथक-पृथक उसी संस्था के लिए ही प्रस्तुत कर सकेगा।
- 2.1.6 एक आवेदन में एक से अधिक महाविद्यालय/स्थान/विषय के लिए विकल्प का उल्लेख होने पर पूर्ण आवेदन ही निरस्त माना जावेगा।
- 2.1.7 आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

## 2.2 चयन की प्रक्रिया :

- 2.2.1 इन मार्गदर्शी मापदण्डों का संक्षिप्तिकरण करते हुए शासकीय संगीत/ललित कला महाविद्यालयों के लिए अतिथि विद्वानों की आवश्यकता अनुरूप, संस्कृति संचालनालय द्वारा विषयवार एवं महाविद्यालयवार आवेदन प्राप्त करने के लिए प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों एवं संचालनालय की वेब-साईट पर विज्ञापन जारी किया जावेगा।
- 2.2.2 अंतिम मेरिट सूची चयन हेतु मापदण्डों के आधार पर, प्राप्त आवेदनों के परीक्षण उपरान्त, गठित चयन समिति द्वारा, अन्य अधिभारों के अंकों को जोड़ते हुए बनायी जायेगी।

- 2.2.3 उक्त आधार पर चयन समिति की अनुशंसा अनुसार, चयनित आवेदकों को आमंत्रण-पत्र संस्कृति संचालनालय द्वारा सीधे प्रेषित किए जाएंगे।
- 2.2.4 आमंत्रित आवेदक को, आवंटित महाविद्यालय में समय-सीमा में उपस्थिति देकर ज्वाइन करना होगा।
- 2.2.5 चयनित आवेदक को आवंटित महाविद्यालय में ज्वाइनिंग कराने के पूर्व संबंधित प्राचार्य द्वारा समस्त अभिलेखों का मूल दस्तावेजों से परीक्षण उपरान्त ही ज्वाइनिंग दी जावेगी।
- 2.2.6 आवेदक के आवेदन में किसी भी प्रकार की विसंगति प्राप्त होने पर चयन समिति द्वारा उस आवेदन को अमान्य किया जा सकेगा।
- 2.2.7 यदि आवेदनकर्ता अनावश्यक रूप से अपने नाम के कुछ अक्षरों में हेरफेर कर एक से अधिक आवेदन करते हैं तो इस तरह आवेदन करने वाले प्रत्याशियों को आगामी 02 वर्षों के लिए ब्लैक-लिस्टेड किया जावेगा।
- 2.2.8 सम्पूर्ण सत्र के दौरान यदि किसी महाविद्यालय में किसी विषय में कोई पद रिक्त रह जाता है तो चयन समिति द्वारा तैयार मेरिट सूची से गुणानुक्रम के आधार पर उपलब्ध आवेदकों को आमंत्रण प्रेषित किया जावेगा एवं ऐसे आवेदकों द्वारा निर्धारित अवधि में महाविद्यालय में उपस्थिति देनी होगी।

### 3. चयन :-

#### 3.1 चयन हेतु मापदण्ड :

आमंत्रण प्रक्रिया पूर्णतः मेरिट के आधार पर होगी। मेरिट अंको का निर्धारण सामान्यतः निम्नानुसार रहेगा :-

(अ) प्राध्यापक/व्याख्याता/सहायक व्याख्याता/ग्रंथपाल पदों के लिए :-

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| पी-एच.डी. तथा नेट/सेट के लिए            | 50 मेरिट अंक |
| एम.फिल तथा नेट/सेट के लिए               | 40 मेरिट अंक |
| नेट/सेट परीक्षा उत्तीर्ण होने पर        | 30 मेरिट अंक |
| पी-एच.डी. के लिए                        | 20 मेरिट अंक |
| एम.फिल के लिए                           | 10 मेरिट अंक |
| स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्तांकों के लिए | 50 मेरिट अंक |

(55% के लिए 05 अंक, 56 से 100% प्रत्येक 01 प्रतिशत के लिए 01 अतिरिक्त अंक दिया जाएगा।)

- 3.2 यदि स्नातकोत्तर उपाधि में विषय में विशेषज्ञता किसी एक विषय की हो तो उसे उसी विषय के लिए मान्य किया जाएगा (हरमोनियम को छोड़कर)।  
उदाहरणार्थ:- संगीत में "वादन" को "गायन" की अर्हता नहीं मानी जायेगी।
- 3.3 पी.एच.डी/एम.फिल की उपाधि संबंधित विषय में होने पर ही मान्य होगी।
- 3.4 कार्यानुभव हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत पूर्व वर्षों के आमंत्रण पत्रों को, जिस आधार पर उन्होंने वास्तविक शिक्षण/कार्य किया हो, प्रस्तुत किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि शासकीय महाविद्यालयों/संस्थाओं में जिन उम्मीदवारों ने कार्य किया है केवल उसी अनुभव को अधिभार की गणना हेतु विचार में लिया जाएगा।
- 3.5 अतिथि विद्वान/ग्रंथपाल के पद हेतु पूर्व कार्यानुभव के आधार पर यह अधिभार प्रत्येक कार्य वर्ष के लिए 10 अंक (अधिकतम 10 वर्ष के अनुभव के लिए 100 अंक तक) होगा।
- 3.6 शासकीय महाविद्यालयों/संस्थाओं में जिन अभ्यर्थियों ने स्ववित्तीय योजना के तहत विषयों में अतिथि विद्वानों के रूप में कार्य किया है, उन्हें भी उपरोक्तानुसार अनुभव के आधार पर अधिभार अंकों का लाभ दिया जावेगा।
- 3.7 समस्त श्रेणियों के आमंत्रण के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को (क्रीमी लेयर छोड़कर) सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा-निर्देश के अनुरूप स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्तांक प्रतिशत का 10 प्रतिशत अधिभार देय होगा। इसी प्रकार विकलांग अभ्यर्थियों को भी प्राप्तांक प्रतिशत का 10 प्रतिशत अधिभार दिया जाएगा।
- 3.8 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विभेदक रूप से सक्षम (Differently Abled) (ललित कला के लिए चाक्षुष तौर से विकलांग को छोड़कर) अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम अंकों में 05 प्रतिशत की छूट सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर दी जावेगी।

| शासकीय संगीत महाविद्यालय के लिए अतिथि विद्वान/शिक्षण सहायक हेतु :-    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| क्र                                                                   | पद/संवर्ग                   | न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                                                                     | व्याख्याता/सहायक व्याख्याता | <p><u>शैक्षणिक योग्यता</u></p> <p>एम.ए. (म्यूजिक) (संबंधित विषय में) –विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण/एम. म्यूज संबंधित विषय में राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर अथवा इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ से न्यूनतम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण।</p> <p><u>अथवा</u></p> <p>स्नातक/बी. म्यूज – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से तथा (संबंधित विषय में) संगीत कला रत्न/संगीत भास्कर/संगीत प्रवीण/संगीत अलंकार/कोविद न्यूनतम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण।</p> <p><u>कार्यानुभव</u></p> <p>न्यूनतम दो वर्ष का अध्यापन कार्य (संबंधित विषय का) अनुभव।</p> |
| 2                                                                     | संगतकार/वाद्ययंत्र सहायक    | प्रभाकर/विशारद/विद (संबंधित विषय में) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| शासकीय ललित कला महाविद्यालय के लिए अतिथि विद्वान/शिक्षण सहायक हेतु :- |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1                                                                     | प्राध्यापक/व्याख्याता       | <u>शैक्षणिक योग्यता</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | /सहायक व्याख्याता                       | <p>मास्टर ऑफ फाईन आर्ट्स (संबंधित विषय में) – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से न्यूनतम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण।</p> <p><u>अथवा</u></p> <p>नेशनल डिप्लोमा इन फाईन आर्ट्स (पांच वर्षीय) (संबंधित विषय में) – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से न्यूनतम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण।</p> <p><u>कार्यानुभव</u></p> <p>न्यूनतम दो वर्ष का अध्यापन कार्य (संबंधित विषय का) अनुभव।</p> |
| 2                                    | निर्देशक/कनिष्ठ निर्देशक/स्टूडियो सहायक | बैचलर ऑफ फाईन आर्ट्स (संबंधित विषय में) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| संगीत/ललित कला महाविद्यालय के लिए :- |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                                    | ग्रंथपाल                                | बैचलर ऑफ लायब्रेरी साइंस – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

5. अन्य शर्तें :

- 5.1 अतिथि विद्वान एवं शिक्षण सहायक किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विधि-विहित परिभाषा के अंतर्गत "लोक-सेवक" नहीं माने जाएंगे।
- 5.2 विभिन्न संवर्गों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि विद्वानों/शिक्षण सहायकों से आमंत्रण-पत्र प्राप्त करने हेतु विज्ञापन संस्कृति संचालनालय द्वारा किये जाएंगे।
- 5.3 अतिथि विद्वान एवं शिक्षण सहायक की चयन प्रक्रिया के समय इस बात का भी ध्यान रखा जायेगा कि चयनित उम्मीदवार के विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। इसके लिए चयनित उम्मीदवार को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उसके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही वह किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही उम्मीदवार को व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया जाएगा।
- 5.4 अतिथि विद्वान एक साथ दो महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य नहीं कर सकेगा।
- 5.5 मानदेय के रूप में भुगतान की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव संबंधित प्राचार्य से प्राप्त होने पर परीक्षण के बाद संस्कृति संचालनालय द्वारा अनुदान स्वीकृत किया जावेगा। उक्त अनुदान लेखा अंकेक्षण के लिए सदैव उपलब्ध होगा। नियम में निर्धारित मानदेय ही प्रतिपूर्ति हेतु मान्य होगा।
- 5.6 अतिथि विद्वान एवं शिक्षण सहायक की चयन प्रक्रिया पूर्णतः वैकल्पिक, अस्थायी एवं तदर्थ व्यवस्था है। इसमें चयन को भविष्य में नियमितीकरण का आधार मान्य नहीं किया जायेगा। वे न्यायालय में जाकर निरन्तर सेवा का दावा प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र भोपाल होगा।
- 5.7 प्राचार्यों के निर्देश अंतर्गत अतिथि विद्वान एवं शिक्षण सहायक से शैक्षणिक कार्यों के साथ-साथ आवश्यकतानुसार गैरशैक्षणिक कार्य भी कराया जा सकता है।
- 5.8 अतिथि विद्वान एवं शिक्षण सहायक को किसी भी प्रकार के अवकाश (प्रत्येक रविवार छोड़कर) की पात्रता नहीं होगी।

- 5.9 अतिथि विद्वान एवं शिक्षण सहायक द्वारा आवश्यकतानुरूप प्रतिदिन अधिकतम 05 कालखण्ड ही लिए जा सकेंगे।
- 5.10 महाविद्यालय में आमंत्रण के आधार पर कार्यरत अतिथि विद्वान एवं शिक्षण सहायक यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उसका आमंत्रण स्वतः समाप्त माना जावेगा।
- 5.11 अतिथि विद्वान एवं शिक्षण सहायक को सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना तथा महाविद्यालय के प्राचार्य के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- 5.12 किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में संचालक, संस्कृति संचालनालय का निर्णय अंतिम होगा।

## 6. मानदेय :

- 6.1 संगीत/ललित कला महाविद्यालयों में प्राध्यापक/व्याख्याता/सहा. व्याख्याता पदों के विरुद्ध एवं अध्यापन की आवश्यकतानुसार आमंत्रित किये जाने वाले अतिथि विद्वानों का मानदेय रु. 275/— प्रति काल खण्ड (अधिकतम रु. 825/— प्रति कार्य दिवस) (वास्तविक शिक्षणकाल के लिए) निर्धारित किया जाता है।

## 7. शैक्षणिक सहायकों के पदों की पूर्ति :

- 7.1 निर्देशक/कनिष्ठ निर्देशक (ललित कला), ग्रन्थपाल (संगीत/ललित कला), संगतकार/वाद्ययंत्र सहायक (संगीत शिक्षा) तथा स्टूडियो सहायक (ललित कला) आदि पदों की पूर्ति आउटसोर्स के माध्यम से की जा सकेगी।
- 7.2 संबंधित महाविद्यालय, उक्त पदों की पूर्ति हेतु संस्कृति संचालनालय से प्रतिवर्ष यथा— विधि पूर्व अनुमति प्राप्त करेंगे।
- 7.3 संबंधित महाविद्यालय, उनके द्वारा नियमानुसार अनुबंधित की गई सेवा—प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से, इन नियमों के बिन्दु क्रमांक-4 में संबंधित पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता अनुरूप, निर्धारित कलेक्टर दर पर, वास्तविक शिक्षणकाल के लिए सेवाएँ प्राप्त कर सकेंगे।
- 7.3 उक्त पदों पर सेवा—प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से उपलब्ध कराये गये शैक्षणिक सहायकों की योग्यता, कार्यानुभव, अध्यापन/तकनीकी सहयोग

क्षमता तथा संतोषप्रद सेवाओं के निर्धारण का दायित्व संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य का होगा।

8. उक्त नियमों में समय-समय पर, आवश्यकतानुसार संशोधन संस्कृति विभाग द्वारा किये जा सकेंगे।
9. उक्त नियम वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त सहमति यू. ओ. क्रमांक 271आर-15/बी-2, दिनांक 19.01.2017 के अनुसार जारी किये जा रहे हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(पदमरेखा ढोले)

अवर सचिव

म.प्र. शासन, संस्कृति विभाग

पृष्ठा. क्र. एफ-01-37/2013/तीस  
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक सितम्बर 2017

1. विशेष सहायक, मान. संस्कृति मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, संस्कृति संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
5. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, इन्दौर, ग्वालियर, धार, मंदसौर, उज्जैन, नरसिंहगढ़, मैहर, खण्डवा, जबलपुर।
6. प्राचार्य .....महाविद्यालय .....(म.प्र.)  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव

म.प्र. शासन, संस्कृति विभाग